संख्या-240/9-6-2015-181मिस/2014

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)।

नगर विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2015

विषयः- नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद के रूप में उच्चीकृत करने, नगर पालिका परिषद के गठन, नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार किये जाने तथा नगर पालिका परिषदों के वर्गीकरण हेतु मानकों का निर्धारण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कृपया शासनादेश संख्या-2212/नौ-6-2014-181मिस/2014 दिनांक 10.11.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद के रूप में उच्चीकृत करने, नगर पालिका परिषद के गठन, नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार किये जाने तथा नगर पालिका परिषदों के वर्गीकरण हेतु नवीन मापदण्ड निर्धारित किये गये है।

2- उल्लेखनीय है कि नगर पंचायत से नगर पालिका परिषद बनाये जाने एवं उनके उच्चीकरण व उनके सीमावृद्धि की प्रक्रिया काफी विस्तृत व दीर्घकालिक होने के कारण प्रक्रिया पूर्ण कर अंतिम अधिसूचना निर्गत होने में काफी समय लग जाता है। जिन नगर पंचायतों का उच्चीकरण कर नगर पालिका परिषद बनाये जाने, नगर पालिका परिषदों के उच्चीकरण अथवा उनके सीमा विस्तार की कार्यवाही पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 01.08.2001 एवं 06.12.1986 की शर्तों व मापदण्डों के अनुसार करते हुए अनन्तिम अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है अथवा अनन्तिम अधिसूचना निर्गत करने हेतु सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, उन प्रकरणों में नवीन शासनादेश दिनांक 10.11.2014 निर्गत होने से कार्यवाही बाधित हो गई है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 10.11.2014 में निम्नवत् आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :-

1. जिन नगर पंचायतों का उच्चीकरण कर नगर पालिका परिषद बनाये जाने, नगर पालिका परिषद के उच्चीकरण या नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार की कार्यवाही शासनादेश दिनांक 01.08.2001 व दिनांक 06.12.1986 में निर्धारित शर्तों व मापदण्डों के अनुसार करते हुए अनंतिम अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है अथवा निर्गत करने हेतु सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, उन प्रकरणों में शासनादेश दिनांक 10.11.2014 के मानक एवं शर्ते लागू नहीं होगी तथा उन प्रकरणों में पूर्व के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

miss r2

2. पूर्व से स्थापित ऐसी नगर पालिका परिषदों, जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम है, का सीमा विस्तार किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 10.11.2014 के प्रस्तर-3(क) में निर्धारित निकाय की वार्षिक आय, जनसंख्या व जनसंख्या के घनत्व के मापदण्ड प्रभावी नहीं होंगें। स्पष्टतः शासनादेश दिनांक 10.11.2014 मे निर्धारित जनसंख्या, निकाय की वार्षिक आय एवं निकाय की जनसंख्या के घनत्व के मापदण्ड नई सृजित होने वाली नगर पालिका परिषदों के संदर्भ में प्रभावी होंगें।

3- उपर्युक्त दोनों प्रस्तर शासनादेश दिनांक 10.11.2014 के प्रस्तर-5 के पश्चात प्रस्तर-6 के रूप में सम्मिलित माने जायेंगें तथा शासनादेश दिनांक 10.11.2014 के प्रस्तर-6 को प्रस्तर-7 पढ़ा जायेगा तथा इस सीमा तक शासनादेश दिनांक 10.11.2014 संशोधित समझा जाएगा।

4- अतः उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
29/01/2015
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-240(1)/9-6-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।(द्वारा जिलाधिकारी)
(4) समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
(6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा , उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(7) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/ गंगा सेल ।
(8) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
(9) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

miss r2